

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

ब्लॉक-5, द्वितीय से पंचम तल
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर



E-mail ID : rajsmsa.asfe@rajasthan.gov.in

smsa.asfe2021@gmail.com

क्रमांक:- रास्कूशिष्य/जय/वै.शि./F-35/CSG दिशा-निर्देश/2022-23/ 2909

दिनांक:- 11/7/2022

कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट दिशा-निर्देश सत्र 2022-23

समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सामान्य शैक्षिक, सह-शैक्षिक, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं पुराने उपकरणों के प्रतिस्थापन तथा विद्यालय स्वच्छता एवं स्थान प्लान हेतु कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट दिये जाने का प्रावधान है। छात्र हित में विद्यालय की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस राशि का उपयोग किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य को बढ़ावा देने के लिये पाठ्य-सहगामी क्रियाओं का विकास करना एवं विद्यालयों की दैनिक/भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।

यह अनुदान डाइस डाटा 2020-21 के अनुसार राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को देय है, जो कि शिक्षा विभाग/पंचायती राज विभाग/केजीबीवी/संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों/शिक्षाकर्मी बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों/समाज कल्याण विभाग के अधीन आते हैं। जिला परियोजना कार्यालय द्वारा स्वीकृत सीएसजी राशि का हस्तान्तरण विद्यालयों की विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के बैंक खाते में निर्धारित समयावधि में राशि हस्तान्तरित की जायेगी।

1) वित्तीय प्रावधान :-

S.No.	Enrollment as per U-DISE 2020-21	Composite School Grant per School
1	1-30	Rs. 10000 (Including atleast Rs. 1000 for Swachhta Action Plan)
2	31-100	Rs. 25000 (Including atleast Rs. 2500 for Swachhta Action Plan)
3	101-250	Rs. 50000 (Including atleast Rs. 5000 for Swachhta Action Plan)
4	251-1000	Rs. 75000 (Including atleast Rs. 7500 for Swachhta Action Plan)
5	Above 1000	Rs. 100000 (Including atleast Rs. 10000 for Swachhta Action Plan)

नोट :- 1) उपरोक्त तालिका की क्र.सं. 1 से 5 तक की विस्तृत सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

2) मर्ज हुए विद्यालय एवं शून्य नामांकन वाले विद्यालयों को यह अनुदान देय नहीं होगा।

2) कार्य प्रक्रिया :-

- सर्वप्रथम एसएमसी/एसडीएमसी अपने विद्यालय की वार्षिक आवश्यकताओं का चिह्नीकरण करें एवं लिखित प्रस्ताव प्राप्त करें।
- वर्षभर की आवश्यकताओं का वित्तीय अनुमान निर्धारित करें।
- एसएमसी/एसडीएमसी के 4 सदस्यों की एक क्रय समिति बनेगी, जिसमें अध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त दो अभिभावक सदस्य होंगे।
- क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता उच्च स्तर की होनी चाहिए।
- सामग्री क्रय कर रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर, बिल वाउचर्स को सुव्यवस्थित सन्धारित करें।
- सीएसजी राशि का उपयोग किया जाकर विद्यालयों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र ब्लॉक कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। ब्लॉक कार्यालय द्वारा समेकित उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। जिला परियोजना समन्वयक जिले का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू.सी.) परिषद् कार्यालय को ई-मेल [आईडी](mailto:rajsmsa.asfe@rajasthan.gov.in) [राजस्थान समन्वयक कार्यालय को ई-मेल](mailto:smsa.asfe2021@gmail.com) पर निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-1) के अनुसार प्रेषित करेंगे।

3) विद्यालय स्तर :— कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की राशि का उपयोग निम्न सामग्री क्रय करने/कार्य में आवश्यकतानुसार किया जा सकता है –

क्रस	कार्यापयोग विवरण
1	दर्ती पट्टी/दर्ती।
2	परीक्षा सम्बन्धी स्टेशनरी।
3	पेयजल व्यवस्था, विद्युत व्यय, पंखा।
4	इन्टरनेट सम्बन्धी कार्य।
5	प्रतियोगिताओं का आयोजन/ खेल सामग्री / उपलब्धि प्रमाण-पत्र मुद्रण।
6	श्यामपट्ट मरम्मत एवं रंग-रोगन/ ग्रीन बोर्ड/ आदमकद दर्पण/ कार्मिकों का फोटो युक्त विवरण।
7	प्रयोगशाला सम्बन्धी उपकरणों के रखरखाव एवं मरम्मत हेतु।
8	अन्य उपयोज्य सामग्री यथा: झाड़, मटका, बाल्टी, मग आदि।

विशेष –

- परिषद कार्यालय द्वारा गत सत्र में शिक्षक दैनन्दिनी उपलब्ध करवायी गयी है। पर्यावरण हितों को ध्यान में रखते हुये इसके सभी पृष्ठों का उपयोग करें।
- सत्र 2022–23 में भी शिक्षकों के उपयोग हेतु शिक्षक दैनन्दिनी उपलब्ध करवायी जायेगी।

4) विद्यालय स्वच्छता एकशन प्लान :— कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट में कम से कम 10 प्रतिशत राशि स्वच्छता एकशन प्लान के लिए निर्धारित की गई है, जिसका उपयोग निम्न कार्यों हेतु ही किया जा सकेगा :-

क्रस	कार्यापयोग विवरण
1	विद्यालय के शौचालय / मूत्रालयों का नियमित उपयोग एवं रख-रखाव।
2	शौचालय / मूत्रालयों की साफ-सफाई व सफाई हेतु वांछित सामग्री यथा ब्रश ऐसिड, टॉयलेट क्लीनर आदि क्रय करने के लिए।
3	शौचालय /मूत्रालय की माईनर रिपेयर करवाने के लिए।
4	शौचालय /मूत्रालय में रनिंग वाटर सुविधा या पानी की टंकी रखवाने के लिए।
5	बालिका शौचालय के साथ डिसपेंसर एवं इन्सीनरेटर रिपेयर के लिए।
6	विद्यार्थियों को हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था करने के लिए।

क्रस	कार्यापयोग विवरण
9	चॉक, डस्टर।
10	एक दैनिक समाचार पत्र (अनिवार्य)।
11	शिक्षण अधिगम सामग्री में उपयोग
12	छात्र हित में अन्य आवर्ती खर्च।
13	अग्निशमन यन्त्र के सिलेण्डर में गैस भरवाने हेतु।
14	शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम में रैफर किये गये विद्यार्थियों को अस्पताल ले जाने का किराया।
15	वार्षिक टूट-फूट, मरम्मत व सोंदर्यन (विद्यालय भवन, शौचालय/मूत्रालय व अन्य व्यवस्थाएं)।
16	विद्यालय के अक्रियाशील उपकरणों के प्रतिस्थापन हेतु।

क्रस	कार्यापयोग विवरण
7	बेकार पानी तथा सूखे कचरे के निस्तारण की व्यवस्था हेतु।
8	कक्षा-कक्षों एवं विधालय परिसर में रखने के लिए कचरा पात्र क्रय/तैयार करने हेतु।
9	पेयजल स्रोत की रिपेयरिंग कराने के लिए।
10	सैनेटाईजर, साबुन
11	परिषद कार्यालय आदेश क्रमांक रास्कूशिप/ जय/वैश्वा/2020–21/12925 दिनांक 13.07.2020 के अनुसार कोविड-19 के बचाव हेतु सुरक्षा एवं स्वच्छता पर राशि व्यय करना सुनिश्चित करें।

नोट:- उक्त कार्यों के अलावा अन्य कार्यों में उक्त राशि का उपयोग नहीं किया जाये। अति-आवश्यक होने पर परिषद की पूर्वानुमति से उक्त राशि में बचत होने पर अन्य कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा।

4.1) कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट राशि का निम्न मदों में व्यय नहीं किया जाये -

1. फर्नीचर क्रय हेतु (छात्र/प्राधानाध्यापक कक्ष/स्टाफ रुम फर्नीचर क्रय नहीं किया जाये)।
2. जलपान आदि पर।
3. उत्सव मनाना अथवा उत्सव आयोजन के फोटो रिखंचवाना।

5) ध्यान देने योग्य बिन्दु :-

1. कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट से क्रय की जाने वाली सामग्री क्रय में “राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013” की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाये।
2. सामग्री क्रय करते समय राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर के दिशा निर्देशों की पालना करते हुये विद्यार्थी हित एवं विद्यार्थी आवश्यकता को प्राथमिकता दी जावे।
3. क्रय की गई सामग्री का उचित रखरखाव करते हुये, वर्ष पर्यन्त उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
4. विद्यालय अवलोकनकर्ता अधिकारी अवलोकन के दौरान कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट के सार्थक उपयोग का भी अवलोकन करें एवं प्रतिवेदन में इसका उल्लेख करें।
5. आईसीटी लैब को प्राथमिकता से क्रियाशील बनाना।

6) दायित्व अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय :-

1. राज0 स्कूल शिक्षा परिषद से राशि प्राप्त होने के 10 (दस) दिवस में राशि का हस्तान्तरण करवाना सुनिश्चित करें एवं विद्यालय स्तर तक की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु व्यक्तिशः मॉनीटरिंग करें। विलम्ब की स्थिति में परिषद कार्यालय अथवा निदेशालय स्तर से की जाने वाली कार्यवाही के लिये सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे।
2. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद से कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की प्राप्त राशि को नामांकन अनुसार विद्यालयों को हस्तान्तरित करना।
3. विद्यालयों को जारी की गयी राशि एवं दिनांक से विद्यालयों को अवगत करवाना ताकि संस्था प्रधान द्वारा का उपयोग यथा समय किया जा सके।
4. कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की राशि का विद्यालय स्तर पर छात्र हित में उपयोग करवाना।
5. पीईईओ/यूसीईईओ से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र सीबीईओ के माध्यम से प्राप्त करना।
6. जिले का कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट का उपयोगिता प्रमाण-पत्र राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद को प्रेषित करना।

दृष्टान्तम्

7) दायित्व सीबीईओ कार्यालय :-

1. जिला कार्यालय से प्राप्त राशि को दस दिवस में ब्लॉक के समस्त विद्यालय की एसएमसी/एसडीएमसी को हस्तान्तरित करना। विलम्ब की स्थिति में परिषद कार्यालय अथवा निदेशालय स्तर से की जाने वाली कार्यवाही के लिये सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे।
2. वित्तीय वर्ष 2022-23 में कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की राशि का विद्यालय स्तर पर छात्र हित में समस्त राशि का उपयोग करवाया जाना सुनिश्चित करना।
3. विद्यालय स्तर पर राशि के उपयोग की मॉनीटरिंग करना।
4. ब्लॉक के समस्त पीईईओ/यूसीईईओ से वित्तीय वर्ष 2022-23 की सम्पूर्ण राशि के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय को प्रेषित करना।

8) दायित्व पीईईओ/यूसीपीईईओ (सीआरटी) कार्यालय :-

1. अधीनस्थ विद्यालयों द्वारा कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट राशि का दिशा-निर्देशों अनुसार विद्यार्थी हित में उपयोग करवाना एवं विद्यालयों को जारी राशि के उपयोग की सतत मॉनीटरिंग करना।
2. वित्तीय वर्ष 2022-23 पीईईओ विद्यालय एवं यूसीईईओ के अधीनस्थ विद्यालयों से कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की सम्पूर्ण राशि के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सीबीईओ कार्यालय को प्रेषित करना।

9) दायित्व विद्यालय संस्थाप्रधान :-

- विद्यालय की एसडीएमसी/एसएमसी से विद्यालय की सुविधाओं के लिए आवश्यकताओं का चिन्हीकरण कर लिखित में प्रस्ताव प्राप्त करना एवं वर्षभर की आवश्यकताओं का वित्तीय अनुमान निर्धारित करना।
- एसडीएमसी/एसएमसी के 4 सदस्यों की क्रय समिति बनाना। इसमें अध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त 2 अभिभावक सदस्य हों तथा क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता उच्च स्तर की होना सुनिश्चित करना।
- सामग्री क्रय कर रोकड़ बही स्टॉक रजिस्टर, बिल वातचर को सुव्यवस्थित संधारित करना।
- वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की समस्त राशि के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण-पत्र पीईईओ/यूसीईईओ कार्यालय को प्रेषित करना।

10) लेखा सम्बन्धी बिन्दु :-

- इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जाएगी। क्रय हेतु वित्तीय नियमों का ध्यान रखा जाये।
- किये गये व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाकर समायोजन सुनिश्चित करवाया जाये। बचत राशि को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ वापिस भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- राशि का उपयोग गतिविधि व शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
- क्रय की जाने वाली सामग्री में “राजस्थान लोक उपापन में पादरीशता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013” की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाये।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

(डॉ मोहन लाल यादव)
आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक:- रास्कूलशिष्य/जय/औ.शि./F- 35I /CSG दिशा-निर्देश-2022-23/ 2909

दिनांक : 11/7/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित :-

- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भेजकर निवेदन है कि कृपया उक्त अनुदान के समुचित उपयोग हेतु, संयुक्त निदेशक/सीबीईओ/जि.शि.अ. प्रा. एवं मा./सीबीईओ/पीईईओ/यूसीपीईईओ को आवश्यक निर्देश प्रदान करायें।
- निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, (प्रथम/द्वितीय), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- उपायुक्त, योजना, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- समस्त जिला प्रभारी अधिकारीगण, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- समस्त जिला परियोजना समन्वयक / अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा कार्यालय।
- कार्यालय उपयोग हेतु।

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-द्वितीय

कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट उपयोगिता प्रमाण-पत्र (विद्यालय स्तर)

विद्यालय का नाम यू.डाईस कोड.....
ब्लॉक कार्यालय से कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट प्राप्त राशि दिनांक
प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2022-23 में प्राप्त कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट राशि रु
का उपयोग एसएमसी /एसडीएमसी के द्वारा कर लिया है। शेष राशि (यदि कोई हो) रूपये
का चैक संख्या बैंक शाखा
दिनांक द्वारा वापस मिजवाया जा रहा है।

क्र.सं.	माह का नाम	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम	नाम सामग्री	मात्रा/संख्या	दर	राशि (रूपये)	उपयोग का विवरण	भण्डार पंजिका में इन्द्रजाल		वि.वि.
									पृ.सं.	दिनांक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सामग्री परिषद् द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार शाला प्रबन्धन समिति के प्रस्ताव संख्या दिनांक के अनुरूप क्रय की गई है, जिसका अनुमोदन एसएमसी/एसडीएमसी के द्वारा दिनांक द्वारा किया गया। साथ ही उक्त विद्यालय डाइस 2020-21 के अनुसार शून्य नामांकन का नहीं है।

हस्ताक्षर
सचिव
विद्यालय प्रबंधन समिति

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
विद्यालय प्रबंधन समिति

नोट:- बैंक से प्राप्त ब्याज का आहरण न करें। इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।

कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट (पीईईओ/यूसीईईओ) उपयोगिता प्रमाण-पत्र

कार्यालय पीईईओ/यूसीईईओ ब्लॉक जिला

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2022-23 में सीबीईओ कार्यालय से पीईईओ/यूसीईईओ के अधीनस्थ निम्नलिखित विद्यालयों को प्राप्त कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट राशि का उपयोग विद्यालय द्वारा कर लिया है। विद्यालयवार विवरण निम्नानुसार है -

क्र.सं.	PEEO / UCEO	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार PS/UPS / Sec./ Sr.Sec.	यू.डाईस	विद्यालय को ब्लॉक कार्यालय से प्राप्त राशि	विद्यालय द्वारा उपयोग ली गयी राशि	उपयोग पश्चात अधिशेष राशि	गत सत्रों की अधिशेष राशि	विद्यालय पर शेष संकल अधिशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8 + 9

हस्ताक्षर
सचिव
विद्यालय प्रबंधन समिति

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
विद्यालय प्रबंधन समिति

कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट (ब्लॉक कार्यालय स्तर) उपयोगिता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2022-23 हेतु जिला कार्यालय से कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट मद में कुल राशि प्राप्त हुयी। प्राप्त राशि में से विद्यालयों को कुल राशि जारी की गयी। राशि जारी करने के पश्चात ब्लॉक कार्यालय पर राशि शेष है।

अतः ब्लॉक कार्यालय के अधिनस्थ प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को जारी की गई कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट का सम्बन्धित संस्था प्रधान द्वारा परिषद् से जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप उपयोग कर लिया गया है। निर्धारित प्रपत्र में यू.सी. प्राप्त कर ली गई है, जिसके आधार पर वित्तीय वर्ष 2022-23 का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत है :-

कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट राशि उपयोग का विवरण								
क्र. सं.	PEEO / UCEO कार्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार PS/UPS / Sec./ Sr.Sec.	ब्लॉक में विद्यालयों की संख्या	विद्यालयों को जारी राशि	विद्यालयों द्वारा उपयोग ली गयी राशि	विद्यालय पर राशि उपयोग पश्चात अधिशेष राशि	ब्लॉक कार्यालय पर अधिशेष राशि	विद्यालय एवं ब्लॉक कार्यालय पर सकल अधिशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8
	योग							

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी
ब्लॉक कार्यालय

हस्ताक्षर
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
ब्लॉक कार्यालय

कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट (जिला स्तर) उपयोगिता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2022-23 में जिला को कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट मद में प्राप्त राशि रूपये में से कुल प्राथमिक, कुल उच्च प्राथमिक, कुल माध्यमिक एवं कुल उच्च माध्यमिक विद्यालयों को कुल राशि जारी की गई एवं राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या पर समायोजन किया जा चुका है। उक्त राशि का व्यय परिषद् से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया गया है तथा प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा एमपीआर में मासिक आधार पर व्यय की प्रविष्टि की जा रही है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर हस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार है।

हस्ताक्षर
सहायक परियोजना समन्वयक/ प्रभारी

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी

हस्ताक्षर
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक

हस्ताक्षर
जिला परियोजना समन्वयक

Secondary Composite School Grant (CSG) Budget 2022-23

Sno.	District	(Enrol 1-30)	Fin. in lac per school @0.10 lac	(Enrol >31 - 100)	Fin. in lac per school @0.25 lac	(Enrol > 100 and <= 250)	Fin. in lac per school @0.50 lac	(Enrol > 250 and <= 1000)	Fin. in lac per school @0.75 lac	(Enrol >= 1000)	Fin. in lac per school @1.0 lac	Total school	Total Fin. in lac
1	AJMER	0	0.000	8	2.000	109	54.500	397	297.750	11	11.000	525	365.2500
2	ALWAR	1	0.100	45	11.250	304	152.000	443	332.250	2	2.000	795	497.6000
3	BANSWARA	0	0.000	2	0.500	58	29.000	392	294.000	12	12.000	464	335.5000
4	BARAN	0	0.000	2	0.500	111	55.500	194	145.500	2	2.000	309	203.5000
5	BARMER	3	0.300	9	2.250	151	75.500	553	414.750	5	5.000	721	497.8000
6	BHARATPUR	0	0.000	16	4.000	192	96.000	340	255.000	7	7.000	555	362.0000
7	BHILWARA	0	0.000	6	1.500	125	62.500	441	330.750	6	6.000	578	400.7500
8	BIKANER	0	-0.000	8	2.000	81	40.500	348	261.000	10	10.000	447	313.5000
9	BUNDI	0	0.000	2	0.500	68	34.000	202	151.500	3	3.000	275	189.0000
10	CHITTAURGARH	3	0.300	6	1.500	169	84.500	233	174.750	0	0.000	411	261.0500
11	CHURU	1	0.100	15	3.750	195	97.500	295	221.250	7	7.000	513	329.6000
12	DAUSA	0	0.000	8	2.000	140	70.000	231	173.250	6	6.000	385	251.2500
13	DHAULPUR	0	0.000	1	0.250	51	25.500	233	174.750	6	6.000	291	206.5000
14	DUNGARPUR	1	0.100	2	0.500	52	26.000	341	255.750	3	3.000	399	285.3500
15	GANGANAGAR	2	0.200	22	5.500	206	103.000	257	192.750	0	0.000	487	301.4500
16	HANUMANGARH	0	0.000	10	2.500	107	53.500	244	183.000	3	3.000	364	242.0000
17	JAIPUR	1	0.100	63	15.750	407	203.500	498	373.500	17	17.000	986	609.8500
18	JAISALMER	0	0.000	5	1.250	61	30.500	124	93.000	2	2.000	192	126.7500
19	JALOR	0	0.000	1	0.250	62	31.000	331	248.250	2	2.000	396	281.5000
20	JHALAWAR	0	0.000	5	1.250	83	41.500	236	177.000	4	4.000	328	223.7500
21	JHUNJHUNU	4	0.400	81	20.250	278	139.000	165	123.750	2	2.000	530	285.4000
22	JODHPUR	0	0.000	15	3.750	184	92.000	515	386.250	2	2.000	716	484.0000
23	KARAULI	1	0.100	4	1.000	106	53.000	211	158.250	2	2.000	324	214.3500
24	KOTA	1	0.100	5	1.250	119	59.500	193	144.750	3	3.000	321	208.6000
25	NAGAUR	0	0.000	11	2.750	276	138.000	467	350.250	2	2.000	756	493.0000
26	PALI	1	0.100	11	2.750	179	89.500	307	230.250	3	3.000	501	325.6000
27	PRATAPGARH	1	0.100	0	0.000	25	12.500	186	139.500	2	2.000	214	154.1000
28	RAJSAMAND	0	0.000	4	1.000	63	31.500	233	174.750	1	1.000	301	208.2500
29	SAWAI MADHOF	0	0.000	3	0.750	106	53.000	197	147.750	2	2.000	308	203.5000
30	SIKAR	1	0.100	40	10.000	301	150.500	296	222.000	2	2.000	640	384.6000
31	SIROHI	1	0.100	2	0.500	28	14.000	206	154.500	2	2.000	239	171.1000
32	TONK	1	0.100	7	1.750	117	58.500	208	156.000	5	5.000	338	221.3500
33	UDAIPUR	1	0.100	14	3.500	158	79.000	575	431.250	3	3.000	751	516.8500
TOTAL		24	2.400	433	108.250	4672	2336.000	10092	7569.000	139	139.000	15360	10154.6500

Elementary Composite School Grant (CSG) Budget 2022-23

Sno.	District	(Enrol 1-30)	Fin. in lac per school @0.10 lac	(Enrol >31 - 100)	Fin. in lac per school @0.25 lac	(Enrol > 100 and <= 250)	Fin. in lac per school @0.50 lac	(Enrol > 250 and <= 1000)	Fin. in lac per school @0.75 lac	Total school	Total Fin. in lac
1	AJMER	253	25.300	625	156.250	427	213.500	29	21.750	1334	416.8000
2	ALWAR	390	39.000	1019	254.750	571	285.500	54	40.500	2034	619.7500
3	BANSWARA	815	81.500	1390	347.500	463	231.500	65	48.750	2733	709.2500
4	BARAN	534	53.400	531	132.750	210	105.000	7	5.250	1282	296.4000
5	BARMER	1100	110.000	2129	532.250	825	412.500	37	27.750	4091	1082.5000
6	BHARATPUR	176	17.600	637	159.250	352	176.000	36	27.000	1201	379.8500
7	BHILWARA	524	52.400	1159	289.750	613	306.500	15	11.250	2311	659.9000
8	BIKANER	591	59.100	684	171.000	288	144.000	31	23.250	1594	397.3500
9	BUNDI	224	22.400	514	128.500	231	115.500	6	4.500	975	270.9000
10	CHITTAURGARH	348	34.800	718	179.500	337	168.500	2	1.500	1405	384.3000
11	CHURU	227	22.700	383	95.750	271	135.500	15	11.250	896	265.2000
12	DAUSA	387	38.700	559	139.750	236	118.000	2	1.500	1184	297.9500
13	DHAULPUR	116	11.600	412	103.000	277	138.500	44	33.000	849	286.1000
14	DUNGARPUR	758	75.800	1109	277.250	378	189.000	29	21.750	2274	563.8000
15	GANGANAGAR	682	68.200	577	144.250	196	98.000	1	0.750	1456	311.2000
16	HANUMANGARH	218	21.800	310	77.500	196	98.000	6	4.500	730	201.8000
17	JAIPUR	1074	107.400	1233	308.250	433	216.500	27	20.250	2767	652.4000
18	JAISALMER	442	44.200	471	117.750	176	88.000	7	5.250	1096	255.2000
19	JALOR	235	23.500	801	200.250	391	195.500	55	41.250	1482	460.5000
20	JHALAWAR	348	34.800	675	168.750	331	165.500	7	5.250	1361	374.3000
21	JHUNJHUNU	522	52.200	412	103.000	74	37.000	2	1.500	1010	193.7000
22	JODHPUR	1006	100.600	1336	334.000	472	236.000	25	18.750	2839	689.3500
23	KARAULI	326	32.600	546	136.500	234	117.000	13	9.750	1119	295.8500
24	KOTA	210	21.000	375	93.750	185	92.500	5	3.750	775	211.0000
25	NAGAUR	896	89.600	911	227.750	475	237.500	10	7.500	2292	562.3500
26	PALI	318	31.800	613	153.250	382	191.000	27	20.250	1340	396.3000
27	PRATAPGARH (RAJ.)	548	54.800	685	171.250	259	129.500	17	12.750	1509	368.3000
28	RAJSAMAND	312	31.200	761	190.250	336	168.000	11	8.250	1420	397.7000
29	SAWAI MADHOPUR	165	16.500	426	106.500	183	91.500	6	4.500	780	219.0000
30	SIKAR	535	53.500	600	150.000	208	104.000	4	3.000	1347	310.5000
31	SIROHI	141	14.100	347	86.750	248	124.000	24	18.000	760	242.8500
32	TONK	446	44.600	526	131.500	194	97.000	1	0.750	1167	273.8500
33	UDAIPUR	1003	100.300	1899	474.750	709	354.500	71	53.250	3682	982.8000
	Grand Total	15870	1587.000	25373	6343.250	11161	5580.500	691	518.250	53095	14029.0000